

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 75/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

राजूराम पुत्र हरजीराम उम्र 59 वर्ष
जाति जाट निवासी डाबली नाडी,
पांयला कला तहसील सिणधरी जिला
बाड़मेर

1. भैराराम पुत्र अर्जुनराम उम्र 45 वर्ष
2. हुकमाराम पुत्र वागाराम उम्र 62 वर्ष
3. पोलाराम पुत्र वागाराम उम्र 45 वर्ष
4. आसूराम पुत्र वागाराम उम्र 48 वर्ष
5. हनूमानराम पुत्र वागाराम उम्र 55 वर्ष
6. नानगाराम पुत्र जसाराम उम्र 40 वर्ष
7. नरपतराम पुत्र जसाराम उम्र 42 वर्ष
8. जगदीश पुत्र जसाराम उम्र 35 वर्ष
9. आईदानराम पुत्र जसाराम उम्र 30 वर्ष
10. गोमीदेवी पत्नि जसाराम उम्र 65 वर्ष जातियान जाट निवासी डाबली नाडी, पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
11. टीकमाराम पुत्र मिश्राराम उम्र 50 वर्ष
12. रूपाराम पुत्र चिमनाराम उम्र 75 वर्ष जातियान घांसी निवासी डाबली नाडी, पांयला कलां ' तहसील सिणधरी बाड़मेर
13. मूलसिंह पुत्र खीमसिंह उम्र 55 वर्ष
14. जयसिंह पुत्र खीमसिंह उम्र 52 वर्ष जातियान राजपूत निवासी डाबली नाडी, पांयला कलां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
15. तहसीलदार सिणधरी

राजूराम

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री भवंरलाल सारण, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश


दिनांक 26.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी का खेत मौजा डाबली नाडी पटवार क्षेत्र पायलां कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 243/9 रकबा 12.3939 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा डाबली नाडी पटवार क्षेत्र पायलां कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 243/9 रकबा 12.3939 हैक्टेयर की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा डाबली नाडी पटवार क्षेत्र पायलां कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 243/9 रकबा 12.3939 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा डाबली नाडी पटवार क्षेत्र पायलां कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 243/9 रकबा 12.3939 हैक्टेयर की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

14. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड


तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 243/9 रकबा 12.3939 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा डाबली नाडी पटवार क्षेत्र पायलां कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 243/9 रकबा 12.3939 हैक्टेयर के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 26.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी